न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 89/2022 जिला सीकर

1. साधु राम शर्मा पुत्र श्री नाथूराम शर्मा, निवासी ग्राम हांसपुर, बोहरा की ढाणी, तहसील. श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज.।

—अपीलान्टस

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर सीकर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राज.
3. ओमप्रकाश पुत्र भगवान सहाय, निवासी ग्राम हांसपुर, बोहरा की ढाणी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राज.।
4. बजरंग लाल पुत्र चौथूराम, निवासी ग्राम हांसपुर, बोहरा की ढाणी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज.।
5. सुनील पुत्र चौथूराम, निवासी ग्राम हांसपुर, बोहरा की ढाणी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राज.।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 26.10.2021

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री हरिप्रसाद जांगिड।
2. रेस्पों. नं. 1 व 2 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 से 5 की ओर से सुरेन्द्र कुमार शर्मा

निर्णय

दिनांक —28.06.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 26.10.2021 के खिलाफ दिनांक 21.06.2022 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत 26.10.2021 के द्वारा ग्राम हांसपुर पटवार मण्डल हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर के ख.नं. 271/1, 270, 322, 358, 357, 327 में से रास्ते जा रहे बोहरा की ढाणी से ब्राहमणों की ढाणी तक के रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के दिनांक 26.10.2021 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों में से जा रहे बोहरा की ढाणी से ब्राहमणों की ढाणी तक रास्ता आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा, सहमतिस्वरूप खातेदारों के हस्ताक्षर तथा पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 26.10.2021 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना0 करण रास्ते के पृथक खसरा नंबर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये एवं नक्शे में तरमीम करने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखने तथा तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रखने के आदेश दिये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 26.10.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलांट के योग्य अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट ग्राम हांसपुर, बोहरा की ढाणी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज में स्थित आराजी खसरा नम्बर 358 रकबा 1.88 हैक्टेयर, आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 4.00 हैक्टेयर, भूमि अपीलार्थी के नाम से खातेदार काश्तकार की निजी खातेदारी की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजी की निजी खातेदारी का इन्द्राज जमाबन्दी में अंकन है। ग्राम पंचायत हांसपुर, पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के सरपंच के द्वारा दिनांक 22.10.2021 को ग्राम पंचाचत के लेटर हेड पर एक प्रस्ताव सं0. 1 बिना कोरम पुरा किये ही आनन फानन में लिया गया। जिसमें रेस्पोडेन्ट सं0 3, 4, 5 को लाभ पहुचाने के लिए ग्राम पंचायत हांसपुर, पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर जिला सीकर जिसमे ढाणी ब्राहमणों वाली को जोडने वाला कदीमी रास्ता मौके पर प्रचलित होना बतलाकर जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाये जाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर को भेजा गया जिस पर ठीक उसी दिन मौका रिपोर्ट तैयार करने का आदेश जारी किया पटवारी हल्का के द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार के समक्ष पेश कर दी। उक्त कार्य बिना रूके एक ही दिन में किया गया। साथ ही दिनांक 26.10.2021 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा उक्त रास्ता कायम किये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुये आराजी खसरा नम्बरों की लिस्ट तैयार कर ली गयी व मौका नक्शा तैयार कर पेश किया गया। जिसमें किसी भी काश्तकार की कोई सहमति नहीं ली गयी। साथ ही खातेदारों की सहमति वाले फॉर्म पर सभी का तकारों के नाम व उनकी आराजी खसरा नम्बर मय रकबा लिखकर हस्ताक्षर करवाये जाने के लिए तैयार की परन्तु तहसीलदार के द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 3, 4, 5 को लाभ पहुचाने के लिए तहसीलदार के द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 3 लगायत 5 के हस्ताक्षर करवा लिये गये मगर मिन अपीलान्ट को ना तो इसकी सूचना दी गयी और ना ही मिन अपीलान्ट से किसी प्रकार की सहमति ली गयी। उक्त प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद रेस्पोडेन्टस सं0 2 तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष उक्त पत्रावली राजस्व ग्रुप(6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(2) राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसील श्रीमाधोपुर के मिन अपीलान्ट की निजी खातेदारी भूमि में कदीमी रास्ता दर्ज करने व राजस्व अभिलेखों में अंकन करवाने हेतु तहसील श्रीमाधोपुर के मिन अपीलान्ट की निजी खातेदारी भूमि में कदीमी रास्ता दर्ज करने व राजस्व अभिलेखों में अंकन करवाने हेतु तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम हांसपुर बोहरा वाली ढाणी फाटक से ब्राहमणों वाली ढाणी को जोडने के लिए आराजी खसरा नम्बर 358 रकबा 1.88 हैक्टेयर, आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 4.00 हैक्टेयर में से मौके पर कदीमी रास्ता राजस्व रिकार्ड में किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट सं0. 3 लगायत 5 को निजी लाभ पहुचांने के लिए एक ही दिन दिनांक 26.10.2021 को सम्पूर्ण कार्यवाही की रिपोर्ट, मौका नक्शा, मौका रिपोर्ट आदि सभी तैयार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट सं0 2 तहसीलदार के द्वारा केवल लिस्ट में खसरा नं0 के आधार पर नाम अंकित कर उक्त सम्पूर्ण पत्रावली उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के समक्ष वास्ते आदेश के लिए रख दी गयी। जिस पर दिनांक 26.10.2021 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 में केम्प के दौराने ही रेस्पोडेन्ट को लाभ पहुँचाने के लिए

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार के कहे अनुसार दिनांक 26.10.2021 को उक्त आलौच्य आदेश मिन अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये व बिना सुने ही पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश में मेरी सहमति बताते हुए रास्ता काटा है जबकि मेरी सहमति पर हस्ताक्षर नहीं है। रास्ता खसरा नं0 327 पर लाकर रास्ता बंद कर दिया जबकि ब्राहमणों की ढाणी हेतु रास्ता बताया है। खसरा नम्बर 327 व 358 की सीमा पर 10 फीट का मिट्टी का ढेर है जो मेरे व पडौसी दोनों के खसरे का भाग है व 20 फीट चौडी है, इसमें रास्ता दे दिया जावे तो आपत्ति नहीं है। खसरा नम्बर 326, 325 व 356 हेतु रास्ता नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया। न्याय का यह सामान्य सिद्धान्त है कि कोई कार्यवाही से पूर्व खातेदार को सुना जाना आवश्यकीय है जिस पहलू पर अधिनस्थ न्यायालय ने विचार न कर निर्णय देने में गम्भीर कानूनी भूल की है। विवादित का तहसीलदार जी, पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का द्वारा कोई मौका नहीं देखा राजस्व कैम्प में अभियान में समस्त कार्यवाही 1 दिन में ही सम्पूर्ण कर दी गई है से स्पष्ट है कि कब किसके सामने मौका देखा गया एवं मौके के पूर्व किसको नोटिस दिया गया। विद्वान एस.डी.ओ. ने अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एक पक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहिन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। किसी भी कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम एवं लैण्ड रेवेन्यू रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के अन्तर्गत किसी खातेदार काबिज रिकॉर्डेड काश्तकार की भूमि से राजस्व रिकार्ड तथा मौके पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं कर सकती है। खातेदार काबिज काश्तकार को बिना कोई नोटिस जारी किये ही तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से कोई कदीमी रूप से चालू व स्थाई या कच्चा रास्ता चालू नहीं होते हुये भी राजस्व रिकार्ड एवं नजरी नक्शे में खातेदार काबिज व्यक्ति की कृषि भूमि में से गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर कोई विचार न कर निर्णय देने में सरासर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विपरीत निर्णय पारित करने में भूल की है । ऐसी स्थिति में भी निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2021 को निरस्त किया जावे। उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 26.10.2021 की जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 10.06.2022 को उस समय लगी जब अधिनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर के द्वारा सरकारी लवाजमें के साथ आये व भूमि की नाप जोप करने लगे तो मिन अपीलान्ट को उक्त आदेश दिनांक 26.10.2021 की जानकारी हुई जिसे मिन अपीलान्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर में जाकर उक्त आदेश व पत्रावली की सत्यापित प्रतियां दिनांक 10.06.2022 को नकल कर प्रार्थना पत्र लगाकर दिनांक 13.06.2022 को निकलवाई व उक्त प्रकरण में पैरवी करने एवं उक्त आलौच्य आदेश की अपील करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु अधिवक्ता से सम्पर्क किया जिस पर अधिवक्ता ने उक्त आलौच्य निर्णय की सत्यप्रति निकालकर अपील करने हेतु सलाह दी जिसमें अपील अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। जो अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील को न्यायहित में गुणावगुण पर निस्तारित करने की कृपा करें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पों. नं. 3 लगायत 5 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत 26.10.2021 के द्वारा ग्राम हांसपुर पटवार मण्डल हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर के ख.नं. 271/1, 270, 322, 358, 357, 327 में से रास्ते जा रहे बोहरा की ढाणी से ब्राहमणों की ढाणी तक के

रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर में तहसीलदार सीकर के दिनांक 26.10.2021 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों में से जा रहे बोहरा की ढाणी से ब्राहमणों की ढाणी तक रास्ता आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा, सहमतिस्वरूप खातेदारों के हस्ताक्षर तथा पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 26.10.2021 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप् में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना0 करण रास्ते के पृथक खसरा नंबर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये एवं नक्शे में तरमीम करने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखने तथा तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रखने के आदेश दिये गये। उनका यह भी कहना है कि यह रास्ता प्रचलित रास्ता है। खसरा नम्बर 357, 327 व 326 में भी ब्राहमणों की ढाणी है। खसरा नम्बर 327 अपीलान्ट का है। इनके मकानात बने हुए हैं। स्वंय भी लाभान्वित हैं। खसरा नम्बर 271/1, 322, 357 हमारी भूमि है जिसमें से रास्ता निकाला है, रास्ते हेतु हमने अपनी भूमि दी है। रास्ते हेतु हमने खसरा नम्बर 271/1, 322, 357 में से पूर्ण रूप से हमारे खसरे में है व पूर्व में प्रचलित रास्ते में ही है। खसरा नम्बर 357 में से केवल हमारी भूमि से रास्ता दिया है जो खसरा नम्बर 327 के बगल में है। इसमें इनके खाते में से भूमि नहीं ली है। खसरा नम्बर 271/1, व 270 नर्बदा के नाम है जो रेस्पो. नं. 4 की माताजी की है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 13.06.2022 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार श्रीमाधोपुर सीकर के प्रस्ताव 26.10.2021 के अनुसार प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत 26.10.2021 के द्वारा ग्राम हांसपुर पटवार मण्डल हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर के ख.नं. 271/1, 270, 322, 358, 357, 327 में से रास्ते जा रहे बोहरा की ढाणी से ब्राहमणों की ढाणी तक के रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर में तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के दिनांक 26.10.2021 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों में से जा रहे बोहरा की ढाणी से ब्राहमणों की ढाणी तक रास्ता आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा, सहमतिस्वरूप खातेदारों के हस्ताक्षर तथा पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 26.10.2021 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना0 करण रास्ते के पृथक खसरा नंबर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये एवं नक्शे में तरमीम करने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखने तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रखने के आदेश दिये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 26.102021 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खेत नं. 358 रकबा 1.88 हैक्टर में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ते के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 26.10.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/6/23

(अयलम शेख खान)
अति.सभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner